तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.06.2024	कार्यालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीमकाथाना (राज0) के पत्रांक राजस्व/2023/583 दिनांक 26.07.2023 से अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बाबत रास्ता कायमी का उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के सुनवाई क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्राम चुन्दाड़ा पटवार हल्का हरड़िया स्थित मंन्दिर भूमि खसरा नम्बर 336 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। परिपत्र का अवलोकन करने पर पाया कि स्थायी रास्ते राजकीय और व निजी भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे है, जो बारहमासी है तथा मौसम/ ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। तहसीलदार खेतडी के द्वारा अपने प्रस्ताव में कहीं यह अंकित नहीं किया है कि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि ग्रामीण अंचलों में स्थित अराजकीय मंदिर की भूमि है या देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर की भूमि है। वैसे भी मंदिर की भूमि प्रबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। मंदिर की भूमि का किसी व्यक्ति विशेष को अदेय लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: आदेश :—

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज—6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी